



राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(आरजीएचएस)



वित्त-भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर
2740252, 2740292(फैक्स)

फोन:-2740219,

email: add.dir.rghs@rajasthan.gov.in

website: www.rghs.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- एफ.1(258)मेडि./SAB LETTER/21-22 /35

दिनांक:- 05-04-2022

समस्त प्राधिकृत अधिकारी
स्वायत्तशासी संस्थान, राजस्थान सरकार।

विषय:-स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों का मेडिकलेम पॉलिसी के अन्तर्गत
सीजीएचएस दरों पर पुनर्भरण आधार पर ईलाज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान सरकार
स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2021 से सभी राज्यकर्मियों का RGHS द्वारा
अनुमोदित निजी एवं सरकारी चिकित्सालयों में कैशलेस ईलाज किया जा रहा है।
स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों हेतु पूर्व में जारी मेडिकलेम पॉलिसी के अन्तर्गत
सीजीएचएस दरों पर पुनर्भरण हेतु प्राप्त ऑफलाइन मेडिकलेम दावों पर दिनांक 30.09.2021
के पश्चात् विचार नहीं किया जायेगा ।

अतः समस्त स्वायत्तशासी संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ
समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को सूचित करवाया जान सुनिश्चित कराये की जिन
कर्मचारियों/अधिकारियों ने आरजीएचएस कार्यालय में फाईल जमा करवायी गयी है, वे
लाभार्थी इस कार्यालय से फाईल प्राप्त कर उन्हें स्वयं कि SSO ID से लॉगइन कर
ऑनलाईन अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।

नोट:- दिनांक 30.09.2021 के पश्चात् पुर्नभरण की सुविधा केवल इमरजेन्सी दावों के लिए
ही लागू होगी।

संलग्नक :

(शिप्रा विक्रम)

परियोजना निदेशक (RGHS)

वित्त भवन, जयपुर